हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.2(49)एचजेयू/प्रशा/मीटिंग/प्रबो–III/2021/ दिनांक :

प्रबंध बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 12.10.2021 का कार्यवाही विवरण

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 23 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 12.10.2021 को दोपहर 3.00 बजे प्रशासनिक भवन, "मन्थन" सभागार, द्वितीय तल, डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में प्रबंध बोर्ड के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
2	प्रो. राजीव जैन	कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
3	श्रीमती अलका सक्सैना	अतिरिक्त निदेशक, डीआईपीआर (प्रमुख शासन सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
4	श्री मोहन लाल पाटनी	कोषाधिकारी, कोषागार जयपुर (ग्रामीण) प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, नामनिर्देशिती वित्त विभाग एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
5	डॉ. मोहम्मद नईम	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग **ऑनलाइन सहभागिता** (शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
6	श्री वसीन्द्र मिश्र	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

7	श्रीमती सुनीता ऐरन	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर **ऑनलाइन सहभागिता**
8	प्रो. अपूर्वानन्द	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
9	श्री अमर सिंह राठौड़	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
10	डॉ. मनोज कुमार लोढा	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर
11	डॉ. अजय कुमार सिंह	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर
12	डॉ. गुंजन सोनी	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर

बैठक का आरम्भ कुलसचिव महोदय द्वारा प्रबंध बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों के स्वागत तथा कुलपति महोदय द्वारा उद्बोधन में विश्वविद्यालय की विशिष्ट अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की चर्चा के साथ किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित प्रबंध बोर्ड के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निर्णय/टिप्पणी
3–1	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 09.02.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	प्रबन्ध बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 09.02.2021 के कार्यवाही विवरण (संलग्नक–1) की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
3–2	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 09.02.2021 के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 09.02.2021 के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट (संलग्नक–2) पर विचार कर संतुष्टि जाहिर की।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

3–3	विश्वविद्यालय हेतु सत्र 2021–22 के लिए अवकाश कलैंडर का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से पारित किया गया (संलग्नक–3)।
3–4	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की धारा 11(3) के उप बिन्दु (क) के अनुसरण में कुलपति के चयन हेतु खोजबीन समिति के लिए प्रबंध बोर्ड द्वारा एक व्यक्ति का नामनिर्देशन करने हेतु विचार किया जाना प्रतावित है।	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति के चयन हेतु खोजबीन समिति के लिए अधिनियम की धारा 11(3) के उप बिन्दु (क) के अन्तर्गत बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रो. पी.सी. त्रिवेदी, कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को नामनिर्देशित करने का निर्णय लिया।
3–5	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की धारा 5 (i), (ii) व (iii) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धारा 7(ट) के प्रावधान अनुरूप विश्वविद्यालय में अध्यापन और अनुसंधान की गतिविधियों के सुचारू संपादन हेतु विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती की जानी है। इस हेतु अधिनियम की धारा 13(6) में कुलपति महोदय को प्राप्त शक्तियों के आधार पर विद्यापरिषद और प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ के लिए न्यूनतम अर्हता एवं चयन मापदण्डों का संलग्न नियमावली के अनुरूप निर्धारण किए जाने संबंधी आदेश का अनुमोदन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के प्रेस वक्तव्य के प्रकाश में यदि सहायक प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित योग्यता में पीएच–डी उपाधि में शिथिलन दिया जाता है तो वह शिथिलता विश्वविद्यालय में भी करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ के लिए न्यूनतम अर्हता एवं चयन मापदण्डों का सम्बन्धित नियमावली के आदेश की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के प्रेस वक्तव्य के प्रकाश में यदि सहायक प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित योग्यता में पीएच–डी उपाधि में शिथिलन दिया जाता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) रेग्यूलेशन, 2018 में संशोधन के संबंध में यू जी सी का जो भी नोटिफिकेशन आएगा, उस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी तथा राज्य सरकार के स्तर पर किए गए निर्णयन के अनुरूप वह शिथिलता विश्वविद्यालय में भी करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

3–6	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।	
3-6(i)	विश्वविद्यालय में कार्यरत एड्जंक्ट फैकल्टी के भुगतान के संबंध में।	प्रो. अपूर्वानन्द द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में मानदेय आधारित सेवाएं दे रहे एड्जंक्ट फैकल्टी के लिए कक्षावार/पीरियडवार कार्य सम्पादन करवाया जाना समुचित नहीं है। उन्हें यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप मानदेय दिए जाने के लिए, यदि वे प्रतिमाह 20 दिन परिसर में सेवाएं दिए जाने के लिए उपलब्ध हैं, तो उनकी पूर्ण सेवाएं ली जाएं तथा निदेशक, शैक्षणिक परिसर द्वारा एड्जंक्ट फैकल्टी की उपस्थिति के सत्यापन के अनुरूप नियत दर पर भुगतान किए जाने की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित वित्त नियंत्रक श्रीमती कुसुम धारवाल से राय ली गई। वित्त नियंत्रक ने जाहिर किया कि लेखा के दृष्टिकोण से यूजीसी के दिशा–निर्देशानुसार एवं कार्यालय–आदेश की शर्तों के अनुसार निर्धारित सीमा में भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इस प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।
3-6 (ii)	विश्वविद्यालय में नियमित भर्ती में अकादमिक और मीडिया से जुड़े लोगों में तालमेल बनाए रखने के लिए।	श्रीमती सुनीता ऐरन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्वरूप के मद्देनज़र अकादमिक और मीडिया अध्ययन में तालमेल बनाए रखने के लिए नियमित भर्ती में मीडिया इण्डस्ट्री के अनुभवी लोगों को लिए जाने की जो व्यवस्था प्रक्रियाधीन है, उसके सम्बन्ध में प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक के निर्णयानुरूप गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए प्रबंध बोर्ड

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

		की एक उप समिति बने। यह उप समिति रिपोर्ट का परीक्षण करेगी तथा समिति की राय को प्रबंध बोर्ड की राय माना जाएगा। इस समिति में प्रो. अपूर्वानन्द, श्रीमती सुनीता ऐरन एवं श्री अमर सिंह राठौड़ को सदस्य तथा कुलसचिव, एचजेयू को सदस्य सचिव बनाए जाने का निर्णय किया गया। समिति की रिपोर्ट पर कुलपति, एचजेयू को अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।
3-6 (iii)	कुलपति चयन में अर्हता में शिथिलन एवं कार्यावधि पर पुनर्विचार हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाए जाने के लिए	प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों श्री वसीन्द्र मिश्र, प्रो. अपूर्वानन्द एवं श्रीमती सुनीता ऐरन के सुझाव पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध बोर्ड की ओर से कुलपति चयन के संबंध में निम्नांकित बातें प्रस्ताव के रूप में राज्य सरकार को भिजवाई जाएँ : • कुलपति पद के लिए अर्हता, विशेषतः पेशेवर प्रकृति के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में भिन्न होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में पत्रकारिता/संचार के अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियम देखे जाने चाहिए। • माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अनुरूप अर्हता का सुसंगतिकरण किया जाए। प्रस्ताव के साथ माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का प्रावधान भी संलग्न कर दिया जाए।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)